स्टेट लीडरशिप अकादमी, देहरादून, उत्तराखण्ड
राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान (SIEMAT)
ननूरखेड़ा, देहरादून, उत्तराखण्ड

मॉड्यूल क्रमांक–1

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) देहरादून द्वारा विकसित

शीर्षक– उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समावेशी समतामूलक एवं न्यायप्रिय बनाने में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका

क्षेत्र– शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण–समावेशी समतामूलक एवं न्यायप्रिय शिक्षणअधिगम प्रक्रिया

उद्देश्य–

1. नेतृत्वकर्ता समतामूलक, समावेशी व न्यायप्रियता की अवधारणा को स्पष्ट कर पायेगा।
2. नेतृत्वकर्ता विद्यालय में अपनी टीम के साथ समावेशी समतामूलक एवं न्यायप्रिय तरीके से शिक्षण अधिगम को क्रियान्वित कर सकेगा।
3. विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने सामाजिक जीवन में समावेशी, समता एवं न्यायप्रिय विचारों का आदान–प्रदान कर सकेगा।
4. नेतृत्वकर्ता अपने अधिनस्थों के साथ समावेशी, समतामूलक एवं न्यायप्रिय विचारों पर समन्वय कर शैक्षिक उन्नयन को प्रभावी बनाने हेतु कार्य कर पायेगा।

प्रस्तावना–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 -

शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वंय में एक आवश्यक लक्ष्य बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है जिससे हर नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान देने के अवसर उपलब्ध हो। दृर्भाग्य से लैंगिक, सामाजिक– आर्थिक और विशेष– आवश्यकता जैसे कारकों के आधार पर होने वाले पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण लोगों की शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने की क्षमता प्रभावित होती है जिससे सामाजिक दरारें बढती हैं। यह राष्ट्र के विकास और प्रगति को बाधित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को गढने का लक्ष्य रखती है जिससे भारत का कोई भी बच्चा, अपने जन्म या पृष्ठभूमि सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण सीखने और श्रेष्ठता की ओर बढने के अवसर से वंचित न रह जाए।

आंकडे बताते है कि पिछले तीन दशकों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था (एक के बाद एक आयी सरकारी नीतियों ने) स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लैंगिक और सामाजिक वर्गों के बीच गैर–बराबरी को दूर करने में काफी हद तक सफलता पायी है। इसके बावजूद ऐतिहासिक रूप से अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए बडी असमानताऐं, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, आज भी मौजूद हैं। शिक्षा में अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के अन्तर्गत व्यापक रूप से विशेष लैंगिक पहचान, सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान (जैसे एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0, मुस्लिम और प्रवासी समुदाय), विशेष आवश्यकता वाले (जिनको सीखने में विशेष चुनौतियाँ आती हैं) और विशेष सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों वाले (जैसे शहरी गरीब) लोग आते हैं। हालाँकि कक्षा 1 से 12 तक लगातार ही सकल नामांकन में गिरावट देखी जाती है इनमें से कई अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के सन्दर्भ में नामांकन में गिरावट कहीं ज्यादा नजर आती है। **यू–डायस 2016–17 के आँकडों के अनुसार एस0सी0 समुदाय के बच्चों का प्रतिशत जो प्राथमिक स्तर पर 19.6 था उच्चतर माध्यमिक स्तर पर घटकर 17.3 रह**

गया। एस0टी0 छात्रों में नामांकन में गिरावट 10.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत, मुस्लिम छात्रों में 15 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत और विशेष आवश्यता वाले बच्चों में 1.1 प्रतिशत से घटकर 0.25 प्रतिशत रह गयी है। इन अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के अन्तर्गत केवल छात्राओं के आँकडे देखें तो नामांकन में और भी अधिक गिरावट दिखती है। उच्च शिक्षा में अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के नामांकन में गिरावट और बढ जाती हैं।

- जनपद देहरादून में जाति (Categary) आधारित नामांकन 2020–21 के अनुसार

जाति	कुल छात्र	कुल छात्राऐं	कुल योग
सामान्य	154288	128005	282293
अनु0जाति	28894	27306	56200
अनु0जन जाति	12383	12482	24865
अ0पि0वर्ग	36506	33309	69815

जनपद देहरादून में छात्र–छात्राओं के नामांकन की स्थिति (कक्षा 1 से 12 तक)– 2020–21 के अनुसार

कुल छात्र	कुल छात्राऐं	कुल छात्र सरकारी विद्यालय	कुल छात्राऐं सरकारी विद्यालय	कुल छात्र प्राइवेट विद्यालय	कुल छात्राऐं प्राइवेट विद्यालय
2,32,071	201103	65,418	69,686	1,66,653	1,31,416

इन आँकडों से यह स्पष्ट है कि गैर–बराबरी प्राथमिक स्तर से ही बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बच्चों की शिक्षा के शुरूआती वर्षों से लेकर स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर पेश आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए और उनके समावेश और समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त ही उचित कदम उठाये जाने चाहिए। **ऐसे बच्चे बडे होकर एक समावेशी और समता–मूलक समाज के अंग बनेगें और परिणाम स्वरूप राष्ट्र में शान्ति, समरसता और उत्पादकता में वृद्धि होगी।**

शिक्षा में भेदभाव और निष्कासन के कारण– अल्प–प्रतिनिधित्व समूह के बच्चों का शिक्षा से निष्कासन का पहला मूल कारण स्कूलों तक विशेषकर गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक उनकी पहुंच का नहीं होना। पिछले दशक स्कूलों तक पहुँच के मामले में भारी वृद्धि होने के बावजूद अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बाहुल्य क्षेत्रों में पूर्ण–प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच को लेकर आज भी बहुत बाधाऐं मौजूद हैं। हालाँकि समस्या पहुँचभर की नहीं है यदि अल्प–प्रतिनिधित्व समूह वाला कोई बच्चा एक गुणवत्तापूर्ण स्कूल में दाखिला पाने में सफल भी हो जाता है तो भी बहुत से कारक उसके सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कारक कम उपस्थिति, निम्न अधिगम स्तर और अधिक ड्राप आउट दर को जन्म देते हैं। बहुत से आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनैतिक कारणों से उपजे कारणों भेदभावपूर्ण व्यवहारों का एक जटिल संजाल है जो ऐसी रूकावटों को जन्म देता है।

भेदभाव और निष्कासन दोनों में गरीबी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। स्कूल उपलब्ध होने के बावजूद गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेज पाने में और स्कूल जारी रखने में संघर्ष करते दिखते हैं। गरीब परिवारों के बच्चे पोषण सम्बन्धी कमियों से भी जूझते हैं जिसका सीधा असर उनके सीखने पर पडता है।

भेदभाव पूर्ण व्यवहारों का एक बडा कारण प्रचलित सामाजिक रस्मों रिवाज और पूर्वाग्रह होते है जैसे कि बहुत से समुदायों का यह विश्वास है कि लडकियों को औपचारिक शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। समाज में विभिन्न वर्गों के साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रभाव स्कूल में भी स्पष्ट दिखता है जैसे स्कूल में बैठक व्यवस्था जातिगत आधार, लैंगिक आधार पर होना और स्कूल में होने वाले कुछ कार्यों जैसे रसोई, सफाई आदि को लडकियों से करवाना। बच्चों पर स्कूल स्तर पर व्यवस्थाजन्य भेदभाव का शिकार होने के दूरगामी परिणाम होते हैं।

स्कूली पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें भी अक्सर इस दिशा में एक भूमिका निभाती हैं। कुछ समुदायों के लिए औपचारिक शिक्षा और उनके अपने जीवन के बीच सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होते क्योंकि पाठ्यचर्या में उनके सन्दर्भ से , उनकी परिचित और महत्वपूर्ण चीजों/मुद्दों का समावेश नहीं होता जिनसे वे जुडाव महसूस करें। वास्तव में प्रचलित पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण पद्वतियों के विश्लेषण से एक पक्षपातपूर्ण दृश्य उभरता है जिसमें समाज के प्रभावशाली लोगों के विचारों को ही प्रधानता दी जाती है। उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तकों में परिवार का कमाऊँ सदस्य अधिकांशतः पुरूष ही होता है कहानियों में बच्चों के नाम सभी समुदायों से नहीं होते और शायद ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जिक्र उनमें आता हो। इस प्रकार हमारी बहुत सी कक्षागत प्रक्रियाएं वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं करती।

पृष्ठभूमि–

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005

1. समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है।
2. अंतर की स्वीकृति .....विविधता का उत्सव
3. दिब्याँगता के प्रति संवेदनशील नजरिया एक सामाजिक जिम्मेदारी है इसे स्वीकार करना है।
4. सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को नकारने के लिए चयन की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
5. बच्चे फेल नहीं होते हैं वे केवल स्कूल की असफलता दर्शाते हैं।
6. समावेशन केवल दिब्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है।
7. प्रावधान दें ताकि बाधाऐं बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएं।
8. भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार सम्बन्धी बाधाऐं दूर करें।
9. सहभागिता हमारी शक्ति है– जैसे स्कूल–समुदाय की, स्कूल–शिक्षक की। शिक्षक–शिक्षक की, शिक्षक–बच्चों की, बच्चों–बच्चों की, शिक्षक–अभिभावक की। विद्यालय तंत्र एवं अन्य तन्त्रों की ।
10. मानवीय अधिकार सीखे ..और मानवीय त्रुटियों पर विजय पायें|
11. दिब्याँगता के प्रति समाज में एक प्रकार की रूढ़िवादिता निर्मित है – इसे तोड़ें
12. शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार हैं।
13. साथ मिलकर पढना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है।
14. सहारा देने वाली सेवाएं–आवश्यक सेवाएं हैं।
15. आपस में आदर भाव, अन्तर–निर्वता बढाऐं।

समता, समानता और न्याय से संदर्भित संवेदनशील मुद्दों को और गहराई से समझने के लिए यहाँ एक विडियो क्लिप को देखा जा सकता है - "अनछुआ भारत" (Untouched India movie -video part-1 youtube https://www.youtube.com/watch?v=9_UnVZT0-0k)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ होने वाले अचेतन व्यवहार को समझना –

कौन तय करेगा कि मेरी जगह कहाँ है -

- घंटी बजी। मैंने बस्ते में से अपना खाने का डिब्बा निकाला और कक्षा से निकल गयी।

  मैं सीढियों से नीचे उतरी और छप्पर के नीचे अपने रोज की जगह पर जाकर बैठ गयी। लोहे के जंगले की सलाखों के बीच में से झांकते हुए, मैंने अपनी कक्षा की कुछ लडकियों के समूह को पेड के नीचे गोल घेरे में बैठे हुए देखा। कुछ और बच्चे मैदान में खेल रहे थे। मैंने अपना खाना खत्म किया और बाई के पास जाकर बैठ गयी । बाई ही स्कूल में मेरी अकेली दोस्त है। वह दफ्तर में काम करती है, और चिढाने के लिए मुझे शक्तिमान कहती है पर मुझे अच्छा लगता है। स्कूल में हर दिन एक जैसा लगता है हर मध्याह्न भोजन का अवकाश भी एक जैसा ..... हर दोपहर को मैं परिचित चेहरे खोजती हुयी इधर–उधर घूमती रहती हूँ। ''स्नेहा''

- स्कूल का वार्षिक दिवस आने वाला है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। उस दिन साल में एक ही बार मुझे लगता है कि लोगों को मेरी जरूरत है। मुझे नृत्य करने से प्यार है और मैं उसमें अच्छी हूँ। नृत्य प्रदर्शन करने की योजना बनाने वाले सभी समूह मुझे उसमें शामिल करना चाहते हैं। कक्षा में अन्य दिनों से यह एकदम फर्क होता है। हरबार जब भी शिक्षिका हमें समूह में करने के लिए कुछ काम देती है तो कोई भी तब तक मुझे अपने समूह में नहीं लेता जबतक कि शिक्षिका उनको ऐसा करने के लिए नहीं कहतीं। यदि समूहों को शिक्षिका द्वारा बाँटा गया होता है, तो मुझे सबसे आसान काम, जैसे तस्वीर इकट्ठी करने का काम करने को दिया जाता है। मैं जानती हूँ कि मुझे चीजों को लिखने और याद रखने में दिक्कत होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वह जानबूझकर करती हूँ। मैं अपनी कक्षा के समूहों का हिस्सा क्यों नहीं हो सकती और सिर्फ नृत्य करने के लिए ही नहीं?''सोनल''

व्याख्या– स्नेहा और सोनल की ये दोनों कहानियाँ सच्ची हैं वे दोनों एक समावेशी स्कूल की कक्षा 8 में सहपाठी हैं। जब मैं समावेशी कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि यह ऐसा स्कूल है जहाँ सभी प्रकार की समाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चे, तथा सीखने की कठिनाईयों से जूझ रहे बच्चे और उनके साथ ही तंत्रिका सम्बन्धी रोगों से ग्रस्थ बच्चे सभी एक ही कक्षा में पढते हैं। सीखने की कठिनाईयों या अक्षमताओं से ग्रस्थ बच्चों को स्कूल तथा शिक्षकों के द्वारा सुधारात्मक कक्षाओं, गणित तथा अंग्रेजी में सामन्तर कक्षाओं, भिन्न पाठ्यक्रमों, भिन्न मूल्यांकनों आदि के माध्यम से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल के सभी शिक्षक और कर्मचारी विशेष जरूरत वाले बच्चों को जानते हैं, चाहे वे उन्हें पढाते हों या नहीं पढाते हों। लिए जाने वाले हर निर्णय के बारे में माता–पिताओं को जानकारी दी जाती है तथा माता–पिताओं, शिक्षकों, प्रधानाचार्य और कभी–कभी स्कूल के कानूनी सलाहकार को बैठकों में शामिल करते हुए उनकें बीच में संवाद का मजबूत रिश्ता बनाया जाता है। फिर भी स्नेहा

और सोनल जैसे बच्चों के लिए कुछ ऐसा है जिसको स्कूल या माता–पिता न तो नियंत्रित कर सकते हैं न बदल सकते हैं वह हैं स्कूल के अन्य बच्चे।

स्नेहा डाउन सिन्ड्रोम से पीडित है और अपनी इस समस्या के कारण अन्य लोगों को अजीब–सी दिखायी देती है। ऐसा नहीं है कि उसकी कक्षा के बच्चे कभी उसके निकट नहीं आये। शुरूआत में जब एक नई विद्यार्थी उसकी कक्षा में शामिल हुयी तो उसने स्नेहा से बात करने की कोशिश की, पर जब उसे महसूह हुआ कि स्नेहा अत्यन्त संवेदनशील लडकी है तो वह उससे दूर हो गयी। हालाँकि उसकी सहपाठियों ने कभी उसे परेशान नहीं किया और ना ही चिढाया, पर फिर भी एक तरह से स्नेहा के लिए दोस्तों की कमी है। अन्य बच्चों के विपरित उसके जीवन में लडकियों के साथ उनके या अपने घर पर रात को ठहर जाना या किशोरियों की जन्मदिन की पार्टियाँ आदि नहीं होती, ऐसे आयोजनों में वह बहुत ही कम निमंत्रित की जाती है उसे तभी बुलाया जाता है जब पूरी कक्षा को निमंत्रित किया जाता है, लेकिन तब नहीं जब कोई बच्ची अपनी कुछ खास सहेलियों को निमंत्रित करती है।

दूसरी ओर सोनल को उस तरह से सचमुच में दोस्तों की कमी नहीं है। वह नृत्य करने में बेहद निपुण है और उसे पाठ्यक्रम से इतर सभी गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है। लेकिन जब बाल शैक्षिक कार्य की होती तब उसे यह ऐहसास होता था कि **वह पर्याप्त बुद्धिमान नहीं थी।** इस तरह के भेदभाव के सूक्ष्म रूपों ने उसे आहत किया। वह ये भावनाऐं अपने माता–पिता या शिक्षकों के साथ साझा नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि वे इससे बहुत चिन्तित हो सकते हैं। वह कम बच्चों वाली सामानान्तर कक्षा का भाी हिस्सा है इस कक्षा ने उसे अपनी अंग्रेजी की शिक्षिका के साथ एक विशेष सम्बन्ध निर्मित करने में मदद की है पर अभी भी वह सामान्य कक्षा में आने की उम्मीद करती है।

सोनल जैसे बच्चों के लिए समावेशी परिवेश का हिस्सा होना बहुत मुश्किल होता है स्नेहा जैसे बच्चों के लिए यह और भी बदतर हो जाता है क्योंकि उनकी कमी साफ दिखाई देती है। स्कूल के शिक्षकों तथा कर्मचारियों द्वारा उनके साथ समान रूप से या अधिक संवेदनशीलता से पेश आने या स्कूल के वार्षिक दिवस के मौके पर विशेष तवज्जो देने से उस सब की भरपाई नहीं होती जिसका सामना इन बच्चों को रोज ही करना पडता है जब इन बच्चों को चिढाया गया या उनकी हँसी उड़ाई गई, तो उन स्थितियों में शिक्षकों ने हस्तक्षेप किया और दूसरे बच्चों को इसके लिए डाँटा। ऐसे भी अवसर आए जब शिक्षकों ने बच्चों का गोल घेरा बनवाया ताकि वे कक्षा की विविधता को समझ सकें और दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों। उन्होंने ऐसे बच्चों और उनके सहपाठियों दोनों से एक–एक करके बातचीत भी लेकिन आखिरकार उनके सहपाठी भी बच्चे ही हैं, एक सीमा के बाद उन्हें ''भाषण देने'' का परिणाम नाकारात्मक हो सकता है। इसलिए, शिक्षक वास्तव में किस हद तक ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं ? ऐसे बच्चों के लिए स्थितियों को वे वाकई में कितना नियंत्रित कर सकते हैं, या बदल सकते हैं ? क्या वे विद्यार्थियों के व्यवहार को सचमुच में एक सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं ? हो सकता है कि लम्बे समय में ऐसा हो सके, पर तत्काल में तो यह नहीं हो सकता।

(स्रोत- लर्निंग कर्वे – रितिका चावला – नवम्बर 2015 – समावेशी शिक्षा विशेषांक)

नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर आल – संदर्भित विडियो उपरोक्त विषय पर हमारी समझ को और भी आयाम में सोचने को अभिप्रेरित करता है | विद्यालयी प्रक्रिया एवं आस पास के सामजिक परिपेक्ष्य में हम अक्सर विडियो में दिखाए जा रहे संदर्भों को भी जोड़ सकते हैं | (NCSL Module_D4_S4_4.1)

अन्य महत्वपूर्ण विडियो -

1. विडियो लिंक - NCSL Module_D4_S4_4.1 – Non Discrimination and Respect for all)
2. विडियो लिंक – Film Dangal Official Trailor_ Amir Khan in Cinemas _ december_2016- https://www.youtube.com/watch?v=ptCBbl9S35U
3. Amir Khan ad- Gurdeep Singh & Daughters' _ Nayi Soch - https://www.youtube.com/watch?v=Yn9otCkjfh8
4. Gender Bhedvaav – Video Link (UNICEF – Gender and Social Inclusion)

उदाहरण के लिए–

लिंग आधारित भेदभावपूर्ण पूर्वाग्रह– जब भी किसी समूह के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जाती है तो वे उस समूह या उस समूह के कुछ सदस्यों को यह स्वीकार करने में परेशानी आती है कि उनके द्वारा कभी किसी प्रकार लैंगिक भेदभाव किया गया है। जबकि भारत में औसतन समाजों में महिला व पुरूष को अलग ही नहीं देखा जाता बल्कि उनके साथ असमानता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। सामाजिक असमानता का यह रूप विभिन्न समाजों, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न रूपों में हर जगह नजर आता है इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी गतिविधि हम करेंगें। इस गतिविधि को करते समय यह ध्यान रखना है कि गतिविधि पर जवाब वही लिखना है जो हमारे दिमाग ने पहला जवाब दिया हो।

चित्र क्रमांक– 1

चित्र क्रमांक– 2

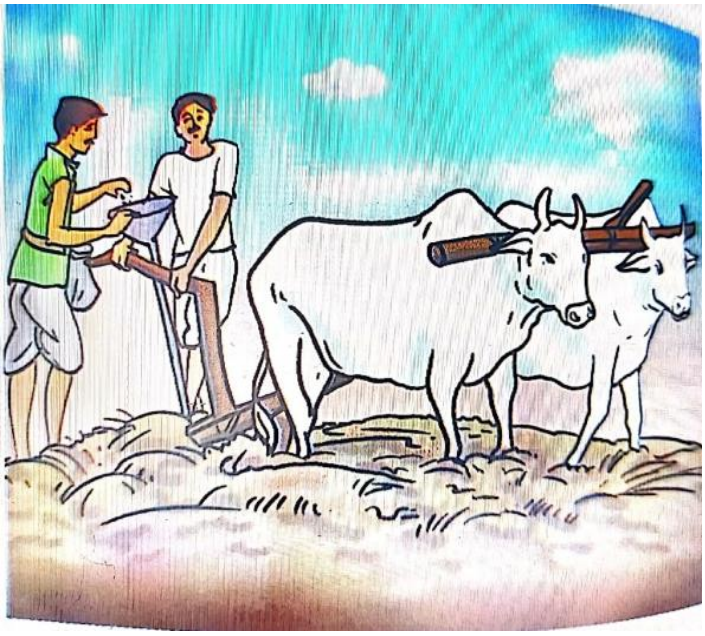

चित्र क्रमांक– 3

चित्र क्रमांक– 4

चित्र क्रमांक– 5

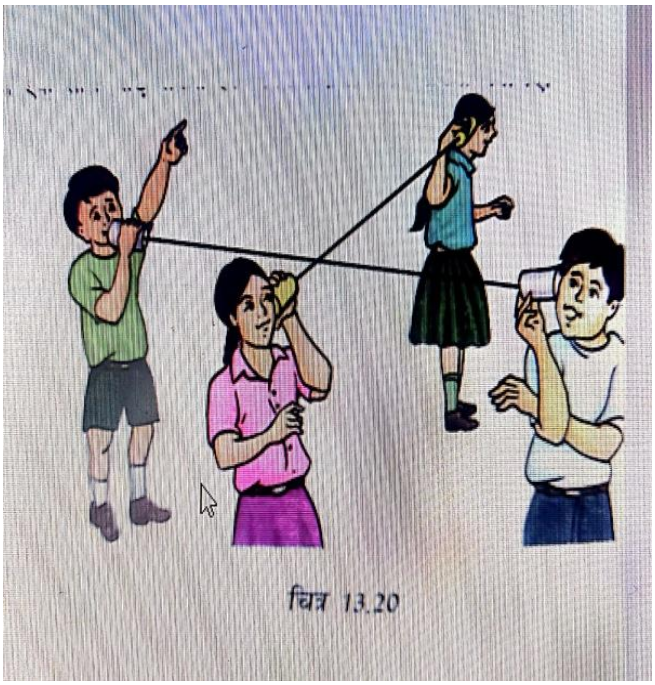

चित्र क्रमांक– 6

चित्रों से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर लिखें–

प्रश्न–1. इन चित्रों में आपको क्या–क्या दिख रहा है ?

प्रश्न–2. आपकी समझ उपरोक्त चित्रों को देखकर क्या बनती है स्पष्ट कीजिए ?

प्रश्न–3. एक नेतृत्वकर्ता/प्रधानाचार्य के रूप में उपरोक्त चित्रों को देखकर आप अपने विद्यालय में किस प्रकार समावेशी वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे।

अभी हमने 6 चित्रों को देखा यह सभी चित्र आमतौर पर महिला व पुरूषों के द्वारा किये जाने वाले कामों से सम्बन्धित है। यदि यह सभी अधूरे चित्र पूरे होते तो शायद हम इस बात पर विचार नहीं करते परन्तु यह सभी चित्र हमें अपनी ही सोच को चुनौति दे रहे हैं कि महिला और पुरूष को देखने का हमारा नजरिया क्या है और क्या यह नजरिया उचित है? यदि नहीं तो हमें इसपर फिर से विचार करना चाहिए। उक्त चित्रों को एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा 8 की विज्ञान की किताब से लिया गया है|

चित्र क्रमांक	चित्र	बालक	बालिका	विचारणीय बिन्दु
1	फ़ुटबाल खेल			
2	खेत की जुताई			
3	आटा गूंथना			
4	पहाडी पर रस्सी के सहारे चढ़ाना			
5	विद्यालय में आपसी खेल			
6	सामाजिक जीवन के खेल			

उपरोक्त गतिविधियों में निश्चित ही हम यह समझ पाये होंगे कि जिन कामों को हम लगातार अपने आसपास होते देख रहे हैं वह हमारी सोच और व्यापक दृष्टिकोण को बाधित करता है। इसी से प्रभावित होकर हम अपने को भी बदल देते हैं।

संभावित समाधान –

प्रस्तुत मोड्यूल स्व: अधिगम आधारित प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित है , उक्त सन्दर्भ में कुछ संभावित समाधान साझा करने की कोशिश की गयी है. जिनमें से अधिकाँश बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 20 में भी विस्तार से उल्लिखित हैं |

- शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व को बढ़ावा देना |
- स्कूल की सुरक्षा को प्राथमिकता देना
- स्कूल अनुपस्थिति को बढ़ावा देने वाली सामाजिक प्रथाओं और जेंडर संबंधी रुढियों हेतु हेतु उचित कदम उठाना |
- स्कूलों में जेंडर संबंधी संवेदनशीलता को बढ़ाना |
- अल्प -प्रतिनिधित्व वाले समूह की बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना |
- अनुसूचित /अपबंचित/अनुसूचित जनजाति/आदिवासी /पिछड़ा वर्ग समुदायों से शिक्षकों की भर्ती करना \
- अनुवादित शिक्षण सामग्री की उपलब्धता |
- समुदाय आधारित सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देना

- मदरसे, मकतब और अन्य परम्परागत और धार्मिक स्कूलों का सशक्तिकरण एवं उनकी पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण |
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किये जाने वाले प्रयाशों के लिए समुचित आर्थिक सहयोग |
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन

विद्यालय नेत्रित्वकर्ता द्वारा अपने स्तर पर किये जाने वाले समाधानों हेतु अपेक्षित संशाधनों पर एक नजर –

एक नेतृत्वकर्ता के लिए विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समावेशी, समतामूलक एवं न्यायप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित संसाधनों की आवश्यकता होती है–

- **भौतिक संसाधन**– विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, श्यामपट, शिक्षण अधिगम, सामग्री, पेयज, विद्युत, शौचालय (बालक/बालिका),क्रीडा प्रांगण, चहारदीवारी , विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुरूप व्यवस्था।
- **मानवीय संसाधन**– प्रधानाध्यापक/प्रधानचार्य की उपलब्धता, छात्र अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता,विषय अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षणेत्तर कार्यों हेतु मानवीय संसाधनों की उपलब्धता (लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मी, सफाई कर्मी, भोजन माता आदि)।
- वर्तमान में शैक्षिक स्थिति/सम्प्राप्ति स्तर–
- **शैक्षिक उन्नयन को प्रभावित करने वाले कारक**
    1. **मानवजन्य**– अशिक्षा, पूर्वाग्रह,घर में कार्य की अधिकता,विद्यालय का घर से दूर होना,सुगम मार्ग न होना, आवागमन के साधन न होना
    2. **प्राकृतिक**– बाढ, नदी/नाले,पहाड़/पर्वत, जंगल/जंगली जानवर, महामारी, अवृष्टि/अतिवृष्टि

माड्यूल निर्माणकर्ता

1. श्री सुरेन्द्रदत्त डंगवाल, प्रवक्ता, डायट, देहरादून
2. श्री सुमीत कण्डारी, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला (जौली)
3. श्रीमती बलविन्दर कौर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूद्रपुर, देहरादून
4. श्रीमती कुसुमलता, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजबपुर–1, देहरादून
5. श्री सिद्धार्थ शर्मा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपर जौली, देहरादून
6. श्री अम्बरीष बिष्ट, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, देहरादून।

स्त्रोत - सन्दर्भ सामग्री –

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 –ड्राफ्ट दस्तावेज
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा – 2005
- लर्निंग कर्व- अज़ीम प्रेमजी विश्विद्यालय का प्रकाशन – ससमावेशी शिक्षा
- मध्य प्रदेश स्टेट लीडरशिप अकादमी -का माड्यूल -1
- एन सी एस एल -दस दिवसीय माड्यूल
- Youtube- video
- UDISE-Dehradun